

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 06/10/2025/

विषय:- सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत नाला विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 84,50,900/- (चौरासी लाख पचास हजार नौ सौ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-

- स्वीकृत्यादेश संख्या 205/बजट दिनांक 16.11.17
- झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 2251(नि0) दिनांक 01.09.2025

आदेश- स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, में चरणबद्ध तरीके से डिग्री स्तरीय महाविद्यालय के स्थापना की घोषणा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 08 विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए विभागीय संलेख ज्ञापांक 155/बजट दिनांक 06.10.2017 के प्रस्ताव पर मंत्रिरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त 08 विधानसभा क्षेत्रों में नाला भी सम्मिलित है।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत नाला विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 84,50,900/- (चौरासी लाख पचास हजार नौ सौ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है-

Sl.No.	Item	Amount in Rs.
1	Administrative Approval	15,76,99,600.00
2	Agreement Value	14,82,18,741.00
3	Excess/Savings	60,19,422.00
4	Price Adjustment as per clause 47 of SBD	42,00,572.00
5	Amount of Operational Grant for JSBCCL	74,10,937.00
6	GST on JSBCCL Charge	2,31,184.00
7	Total Cost of Project (2+3+4+5+6)	16,60,80,856.00
8	Allotment Released till date	15,76,29,950.00
9	Balance Amount to be released (7-8)	84,50,906.00

Say Rs. 84,50,900.00

5. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
स्वीकृत्यादेश संख्या 205/बजट दिनांक 16.11.2017, 11/बजट दिनांक 19.01.2021, 188/बजट दिनांक 18.06.2021 एवं 288/बजट दिनांक 17.11.2021	15,76,29,950/-	15,70,60,789/-

8. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

10. सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. स्वीकृत्यादेश संख्या 205/बजट दिनांक 16.11.17 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

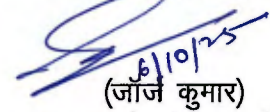
14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

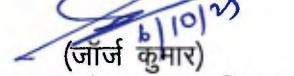
विश्वासभाजन,


(जै कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.1-25/2016(उ0शि0)(अंश) 141/945/राँची, दिनांक- 06/10/2025

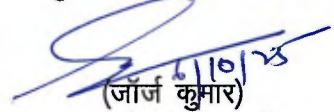
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जै कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.1-25/2016(उ0शि0)(अंश) 141/945/राँची, दिनांक- 06/10/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जै कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।